८— प्रचारकों को उचित मार्ग व्यय कार्यालय की ओर से दिया जायगा, किन्तु प्रचारकों को यह ध्यान रखना होगा कि उनका मार्ग व्यय उनके द्वारा भेजे गये धन का चौथाई भाग से अधिक न होगा।

९— प्रान्तीय अधिकारियों तथा प्रचारकों द्वारा संग्रह किये गये धन का कोई भाग शाखा सभाओं को नहीं दिया जायेगा। किंतु उनके द्वारा बनाये गये सदस्यों की सूची प्रत्येक शाखा को अपनी-अपनी सदस्य सूची के साथ रखनी होगी।

१०— यदि कोई प्रचारक या पदाधिकारी किसी शाखा द्वारा उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया हो तो उसका मार्ग व्यय उस शाखा को ही देना होगा।

११— प्रमाणित प्रचारकों तथा अधिकारियों को किसी प्रकार की विदाई देने का कोई नियम नहीं हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति किसी को विदाई देना ही चाहे तो उससे कार्यालय का कोई सम्बन्ध न होगा।

१२— प्रचारकों को प्रधानमंत्री एवं प्रचार मंत्री की सभी आज्ञाएं मान्य होगी।

१३— प्रमाणित प्रचारकों को प्रचार करने का अधिकार देना कार्यकारिणी समिति की होगा।

१४— प्रचारक प्रमाण-पत्र सभापति प्रधानमंत्री और प्रचारमंत्री के हस्ताक्षर होने पर प्रमाणित समझा जायेगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी।

१५— परिषद् का नवीन निर्वाचन हो जाने के बाद प्रचारक प्रमाण पत्र अवैध समझे जाएंगे चुनाव के बाद पुनः दूसरे प्रमाण-पत्र लेकर ही समस्त प्रचारकों को प्रचार करने का अधिकार होगा।

कार्यकारिणी किसी भी प्रमाण-पत्र को बीच में भी अवैध घोषित कर सकेगी।

●●●

बाल भाई द्वारा जगमोहन प्रिन्टर्स, 29 हिन्दी साहित्य सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद में मुद्रित।
फोन नं0 0532-2404417

॥ श्रीहरिः ॥

अखिल भारतीय

रामराज्य परिषद् के

उद्देश्य विधान एवं नियम

प्रकाशक :
प्रधानमंत्री : अखिल भारतीय रामराज्य परिषद्
कार्यालय : 7 शंकराचार्य मार्ग, दिल्ली-54

अखिल भारतीय रामराज्य-परिषद्
संविधान

धारा १–नाम

इस संस्था का नाम अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् होगा।

प्रधान कार्यालय–

इस संस्था का प्रधान कार्यालय दिल्ली या अन्य किसी ऐसे स्थान पर होगा जिसे कार्य समिति निश्चय करे।

धारा २–मुख्य उद्देश्य

रामराज्य, ईश्वरराज्य, अथवा धर्म नियन्त्रित राज्य स्थापित करना परिषद् का मुख्य उद्देश्य है।

अवान्तर उद्देश्य

उक्त प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अवान्तर उद्देश्य होंगे।

१. 'सभी प्राणी परमेश्वर की सन्तान तथा परमेश्वर के अंश हैं', इस भावना के साथ सबकी सहज भ्रातृता, समानता एवं स्वतन्त्रता उद्-बुद्ध करना।

२. शान्तिपूर्ण तथा वैध उपायों द्वारा अखण्ड भारत की स्थापना करना।

३. भारत भूमि में चक्रवर्ती अर्थात् केन्द्र में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य स्थापित करना और उसी उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व समग्र भारत भूमि में अक्षुण्ण रखना इसके साथ-साथ प्रान्तीय स्वाधीनता जहां तक सम्भव हो स्थापित करना।

४. सुविचारित विधान द्वारा स्वीकृत मूलभूत अधिकारों को बिना किसी शर्त के अखण्ड रूप में स्थापित करना।

५. देश में ऐसा स्वराज्य स्थापित करना जिसके आधारभूत सिद्धान्त भारतीय हों। जिसके शासक और शासित सब पर व्यापक अर्थ में धर्म का निमंत्रण हो और जिसकी राजनीति, अर्थनीति आदि धर्म भावना से अनुप्रमाणित हो।

६. विश्व-हित एवं विश्वशान्ति का ध्यान, रखते हुए भारतराष्ट्र के सर्वविध अभ्युदय का प्रयत्न करना, विदेशों के साथ सम्बन्ध बढ़ाना और वहाँ के दूतावासी को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनाना।

७. जाति, सम्प्रदाय एवं धर्मगत पक्षपात के बिना प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के राजनीतिक, आर्थिक अभ्युदय का प्रयत्न करना।

८. श्रमिक, कृषक, व्यापार, शिल्पी तथा बुद्धि जीवी वर्गों में परस्पर सहयोग और सद्भावना के भाव उत्पन्न करना। व्यापार में ईमानदारी का भाव उत्पन्न करना तथा धार्मिकों में यह भाव लाना कि उनका धन जनता की धरोहर हैं। मालिक और मजदूरों में सद्भावना तथा समता स्थापित करना, पाश्चात्य औद्योगीकरण के दोषों से देश को बचाना तथा उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करके ग्राम तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मुद्रा का प्रचलन सीमित रखकर यथासम्भव वस्तुओं के आदान-प्रदान या विनियम की प्रथा चलाना और किसानों को उपज के रूप में लगान चुकाने की सुविधा देना। खेती, उद्योग आदि भारती साधनों पर जोर देना और अनुसंधान प्रसार तथा विकास का प्रबन्ध करना।

९. खाने, पहनने, रहने की शिक्षा और स्वास्थ्य-सुधार की सब सुविधाएं देना, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की कड़ी व्यवस्था रखना कृत्रिम आवश्यकताओं को कम करना, जीवन में सादगी तथा संतोष का भाव लाना।

१०. गोवध बन्द करना एवं गाय-भैंस आदि पशुओं के पालन-परिवर्द्धनादि द्वारा आरोग्य और स्वाथ्य के लिए घृत दुग्धादि, कृषि के लिए बैल और पर्याप्त खाद उपस्थित करना।

११. न्याय को सुलभ तथा निष्पक्ष बनाना।

१२. अन्त्यज तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों की दशा सुधारना, रहन-सहन शिक्षण और स्वास्थ्य को उन्हें विशेष सुविधाए देना, उन्हें उनके उपयुक्त उच्च से उच्च पद देना और समाज की दृष्टि से उनका मान बढ़ाना।

१३. शिक्षा में आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक विषयों की शिक्षा देना शारीरिक बल बढ़ाने के लिए व्यायामशालाओं की व्यवस्था करना और भौतिक जीवन के साथ ही नैतिक जीवन के स्तर का भी धार्मिक संस्थाओं की सहायता से उच्च बनाने का प्रयत्न करना।

१४. शासन में ऐसी निर्वाचन पद्धति प्रचलित करना जो आधुनिक दोषों से मुक्त हो। गाँवों को शासन का आधार बनाना, उनमें बिरादरी का प्राचीन महत्व जागरित करना, पंचायतों को प्राचीन ढंग पर संगठित करना, राज्य को जनमत के अनुकूल बनाकर जनता और राज्य में मेल रखना।

१५. हिन्दी को अविलम्ब राष्ट्रभाषा बनाना, और साथ ही प्रान्तीय तथा वर्गों की भाषाओं की रक्षा तथा उन्नति करना और प्राचीन भाषाओं की रक्षा तथा उन्नति करना और प्राचीन भाषाओं के पठन-पाठन का भी प्रचार करना।

१६. प्राचीन भारतीय कलाओं, विद्याओं तथा विज्ञान का उद्धार करना, देशी चिकित्सा पद्धति का संरक्षण, प्रचार तथा उन्नति करना। आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित करना।

१७. मातृ-शक्ति के गौरव को जागरित करना।

१८. सभी वर्गों के धार्मिक विश्वासों की रक्षा करना, अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की सबको स्वतन्त्रता देना, किसी के धर्म में कोई भी सरकारी हस्तक्षेप रोकना। सभी सम्प्रदायों के तीर्थों, देवस्थानों, उपासना-गृहों, धार्मिक संस्थाओं की रक्षा करना, तत्तत्सम्प्रदायों अपहृत धर्म स्थानों को ससम्मान परावर्तन कराकर परस्पर सद्भावनाओं को दृढ़ करना तत्तद्धर्मों एवं संस्कृतियों की तत्तत्सम्प्रदायों के धर्मग्रन्थों एवं सम्प्रदायाचार्यों द्वारा की गई व्याख्या की ही मान्यता देना।

धारा ३ सदस्यता :-

भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक, जो अधिकृत सदस्य-पत्र पर लिखित रूप में परिषद् के आदर्श और उद्देश्य को स्वीकार करे, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् का सदस्य होगा। प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम ११ रूपये पैसे वार्षिक शुल्क देना चाहिये। इसके अधिक सहायता सहर्ष स्वीकार की जायेगी।

१. प्रतिदिन कुछ समय रामराज्य स्थापना के लिए ईश्वर-प्रार्थना।

२. कुछ समय परिषद् के कार्य के लिए लगाना।

३. यथाशक्ति आर्थिक सहायता देना।

सदस्यता निवृत्ति–

निम्नलिखित कारणों से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जावेगी। (१) मृत्यु (२) पागलपन (३) त्यागपत्र स्वीकृति (४) परिषद् के आदर्श एवं उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण के कारण पृथक्करण।

सदस्य शुल्क विभाजन

सदस्यों द्वारा दिये गए वार्षिक शुल्क को विभिन्न परिषद् समितियों में निम्नलिखित अनुमान से बांटा जावेगा।

अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् महासमिति का चौथा भाग, प्रदेश परिषद् समिति को चौथा भाग, जिला परिषद् समिति को चौथा भाग, तथा ग्राम या मुहल्ला परिषद् समिति को चौथा भाग।

सदस्यों की पत्रिका में

(अ) प्रत्येक ग्राम व मुहल्ला परिषद् समिति, मध्यवर्ती परिषद् समिति जिला परिषद् समिति और प्रदेश परिषद् समिति अपने सदस्यों की पत्रिका भी रखेगी।

(आ) इन पत्रिकाओं में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पता, वय, पेशा, निवासस्थान और प्रवेश की तारीख का उल्लेख रहेगा तथा उनमें नये सिरे से दिये गये, शुल्क की अदायगी, दर्ज की जावेगी।

धारा ४ –परिषद् समितियों का कार्यकाल।

सामान्यतया प्रत्येक परिषद् समिति, के पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के कार्यकाल की अवधि एक वर्ष होगी।

परिषद् के अंग

धारा ५–अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् के ये अंग समझे जाएंगे।

१. साधारण सदस्य।

२. ग्रम, क्षेत्र, मंडल मुहल्ला तथा नगर परिषद्।

३. जिला तथा अन्य ऐसी मध्यवर्ती परिषद् जिन्हें प्रान्तीय परिषद् नियुक्त करें।

४. प्रान्तीय परिषद् तथा अन्य परिषद् जिन्हें अखिल भारतीय परिषद् स्थापित करें।

५. अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् महा-समिति।

६. अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् कार्य-समिति।

७. अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् सर्वोच्च-समिति।

८. अखिल भारतीय प्रान्तीय तथा जिला परिषदों के वार्षिक, विशिष्ठ अथवा आवश्यक अधिवेशन।

९. अखिल भारतीय या अधीनस्थ परिषदों द्वारा आयोजित सम्मेलन।

१०. भारत के बाहर स्थापित तभी अखिल भारतीय परिषद् द्वारा मान्य परिषदे।

११. कोई संस्था जो परिषद् से सम्बद्ध हो।

इस समय भारतीय संविधान में राज्यों का जो सीमायें निर्धारित हैं, वे ही मान्य होंगी पर परिषद् को अधिकार हैं कि "वह कार्य की सुविधा के लिए केन्द्र की आज्ञा से चाहे जिस रूप में संगठन करें।

प्रादेशिक सीमाएं (प्रदेश विभाग)

धारा ६–(अ) परिषद् की प्रदेश समितियां साधारणतया निम्नलिखित तद् तद्-प्रदेशों में बनाई जायेंगी और उनका कार्यालय निम्नलिखित प्रदेशों के केन्द्र स्थानों में होगा या जहाँ केन्द्रीय कार्य-समिति निश्चित करें।

	प्रदेश	केन्द्रस्थान
१-	केन्द्रशासित	देहली
२-	पंजाब	चण्डीगढ़
३-	राजस्थान	जयपुर
४-	मध्यप्रदेश	भोपाल
५-	महाराष्ट्र	बम्बई
६-	गुजरात	अहमदाबाद
७-	आन्ध्र	हैदराबाद
८-	मैसूर	बंगलौर
९-	केरल	त्रिवेन्द्रम
१०-	तामिलनाडु	मद्रास
११-	उत्कल (उड़ीसा)	भुवनेश्वर
१२-	बंगाल	कलकत्ता
१३-	आसाम	गौहाटी
१४-	बिहार	पटना
१५-	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
१६-	हिमाचल प्रदेश	शिमला
१७-	हन्तिधान्य (हरियाणा)	चण्डीगढ़
१८-	जम्मू कश्मीर	जम्मू कश्मीर

(अ) प्रदेश परिषद् समितियाँ अपनी केन्द्र स्थान केन्द्रीय कार्यकारिणी की सम्मति लेकर बदल सकती हैं।

(इ) केन्द्रीय कार्य-समिति प्रदेश परिषद् समिति या समितियों के सुझाव पर या स्वयं सुविधानुसार नये प्रदेश बना सकती है, वर्तमान प्रदेशों को कम कर सकती हैं, दो प्रदेशों को एक कर सकती हैं या किसी प्रदेश के जिले या विभाग या जिले के किसी विभाग को अन्य प्रदेश में जोड़ सकती है।

(ई) केन्द्रीय कार्यसमिति स्वनिर्मित अपने ऐसे क्षेत्रों को, चाहे भारत में हों अथवा बाहर, प्रतिनिधित्व दे सकती है या ऐसे क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को पड़ोस के प्रदेश में मिलाने के विषय में आदेश दे सकती है।

केन्द्र

धारा ७–केन्द्र में निम्नलिखित संस्थाएं तथा पदाधिकारी होंगे।

१–सर्वोच्च समिति।

अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् की एक सर्वोच्च समिति रहेगी। इसकी सदस्य संख्या ७ रहेगी। इनमें से ५ सदस्य प्रथमबार परिषद् के संस्थापक द्वारा मनोनीत होंगे। उनमें स्थान रिक्त होने पर शेष सदस्य उसकी पूर्ति कर सकेंगे। उसमें ऐसे ही व्यक्ति रखे जायेंगे जो सदाचारी, विद्वान, अनुभवी, समाज सेवी एवं प्रभावशाली होंगे, सदस्य रहेंगे। इसकी बैठकें बुलाने के लिए सदस्यों में ही एक संयोजक रहेगा। बैठक का काम चलाने के लिए सदस्यों में से ही कोई सभापति चुना जा सकेगा। परिषद् की नीति निर्धारित करना, विधान सम्बन्धी परिवर्तन स्वीकार करना, परिषद् की गतिविधि पर नियंत्रण रखना और विवादग्रस्त सभी प्रश्नों पर अन्तिम निर्णय देना इस समिति का कार्य रहेगा।

२–अखिल भारतीय महा समिति।

इसकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक ५०१ होगी। उनमें निम्नलिखित व्यक्ति रहेंगे।

१— परिषद् के अध्यक्ष, सभापति सभी पिछले अधिवेशनों के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष तथा सभापति। पिछले वर्षों के प्रधान मंत्री तथा मन्त्री।

२— जनसंख्या के अनुपात में प्रान्तों के प्रतिनिधि जो प्रतिवर्ष अधिवेशन में चुने जायेंगे। ऐसे प्रतिनिधियों की सूची प्रान्तों को वर्ष के अन्त में केन्द्र को भेजनी होगी।

३— अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य।

इस महा समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे।

१— कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय का हिसाब स्वीकार करना।

२— सामान्य नीति निर्धारित करना, सामान्य प्रश्नों पर कार्यसमिति द्वारा उपस्थित प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव स्वीकार करना।

३— मन्त्रियों द्वारा उपस्थित विवरण स्वीकार करना।

४— संविधान में संशोधन, परिवर्तन उपस्थित करना।

इसके निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

३–अखिल भारतीय कार्य समिति

इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे।

१— वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष जो महा समिति द्वारा सर्वोच्च समिति की स्वीकृत से चुना जायेगा।

२— अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रान्तों के मनोनीत प्रतिनिधि जिनका पूरा संघटन नहीं हुआ है अथवा जिनका उक्त समिति में प्रमुख नहीं है। ऐसे प्रान्तों के अध्यक्ष तथा मन्त्री द्वारा प्रेषित सूचियों में से ही नाम चुने जायेंगे।

३— परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी जिनका मन्त्रिमण्डल होगा और जिन्हें प्रधानमन्त्री के परामर्श से अध्यक्ष मनोनीत करेंगे।

साधारणत:निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे।

(क) वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष।

(ख) उपाध्यक्ष।

जो कार्यवाहक रहेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का सभापति होगा।

(ग) मन्त्रिगण।

१— प्रधान मन्त्री, सहायक मंत्री, संगठन मंत्री, कार्यालय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सुरक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, पुनर्वास मंत्री, पर्यवाहन तथा संचालन मंत्री, खाद्य तथा कृषि मंत्री, कानून मंत्री, वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्री, उद्योग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री, प्रचार मंत्री, श्रम मंत्री, धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था मंत्री, योजना मंत्री।

अध्यक्ष को अधिकार होगा कि सुविधानुसार विभिन्न मंत्रियों के कार्य को अन्य मंत्री के कार्य के साथ मिला दे। यथा-सम्भव मन्त्रियों की संख्या १५ से अधिक न होनी चाहिए। उनकी प्रतिवर्ष नियुक्ति होगी। नया नियुक्ती हो जाने तक लोग अपना कार्य करते रहेंगे।

उक्त समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्त्तव्य रहेंगे।

१— परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न करना और मंत्रियों द्वारा परिषद् की नीति कार्यान्वित करना।

२— सामाजिक प्रश्नों पर प्रस्ताव स्वीकार करना, महासमिति संबंधी सुझाव देना और वार्षिक अधिवेशनों में स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यान्वित करना।

३— धन संग्रह करना, उसे लाभदायक रूप से लगाना अत्यावश्यक हो तो सर्वोच्च समिति की स्वीकृति से ऋण लेना, परिषद् के हित के लिए चल तथा अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय करना या ठेके पर देना।

४— कार्यकर्ता नियुक्त करना, उनका वेतन, अथवा पारिश्रमिक निश्चित करना और उनके कर्तव्य आदि के नियम आदि बनाना।

५— वार्षिक बजट तैयार करना।

६— अधीनस्थ संघटनों पर नियन्त्रण रखना, उन्हें सलाह देना और आवश्यकता होने पर उन्हें परिषद् से संबंद्ध अथवा असम्बद्ध करना।

७— जिन प्रान्तों में विभिन्न समितियां ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हो उन्हें स्थगित करके उनके स्थान पर कार्यवाहक समिति नियुक्त करना।

८— प्रांतीय परिषदों के विवाद सुनना और उसमें निर्णय देना।

९— परिषद् के उद्देश्य, हित, नियमों के प्रतिकूल आचरण करने वाले सदस्यों के विरुद्ध पूरी जाँच के पश्चात् अनुशासन की कार्यवाही करना।

१०— वर्ष के भीतर पदाधिकारियों या सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति करना।

११— महासमिति की स्वीकृति के लिए ऐसे नियम बनाना जो संविधान में नहीं दिए गये हैं, पर जो उसके उद्देश्य तथा नीति के विरुद्ध न हों।

मतदाता

धारा ८–मतदाता और उम्मीदवार

(क) मतदाता प्रत्येक सदस्य, जिसका नाम कम से कम एक वर्ष तक सदस्यों की पत्रिका में दर्ज रह चुका हो और निर्धारित समय के अन्दर ही सूची में दर्ज हो गया हो, धारा ९ के अनुसार डेलीगेटो (प्रतिनिधियों) के चुनाव में मात देने का अधिकारी होगा।

(ख) अभ्यर्थी (उम्मीदवार) किसी ग्राम या मुहल्ला परिषद् समिति से ऊपर का किसी परिषद् समिति के चुनाव के लिये कोई भी सदस्य की जिसकी आयु २१ वर्ष से कम न हो बतौर डेलीगेट या प्रतिनिधि खड़े होने का अधिकार होगा।

धारा ९–डेलीगेटों (प्रतिनिधियों) का चुनाव

प्रान्त–प्रांतों का संघटन गांवों के आधार पर होगा : किसी गाँव या आसपास के गांव मिलाकर यदि २० सदस्य हों तो वे परिषद् की शाखा स्थापित कर सकते हैं। उसमें सभी सदस्यों की एक महासमिति और कार्य संचालन के लिए एक छोटी कार्य समिति रहेगी। आवश्यकतानुसार पदाधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे। ग्राम सभाओं को पटवारी हल्के के अधीन किया जाय। इसी प्रकार नगरों में मुहल्ला सभाएं स्थापित होगी। सदस्य संख्या ५० हो जाने पर नगर शाखा स्थापित हो सकेगी।

इन सब का संघटन पोलिंग स्टेशन के आधार पर किया जायेगा। समस्त पटवारी हलके तथा मुहल्लों का विवरण, सदस्य सूची, संघटन आदि इसका कार्य होगा।

समस्त पोलिंग स्टेशनों का संघटन निर्वाचन क्षेत्रीय सभा में होगा। इसका सम्बन्ध जिले से होगा। वह अपने समस्त क्षेत्र का पूरा परिचय जिला को देती रहेगी, और जिलें के परामर्श से अपने क्षेत्र के लिए कार्य निर्वाचित करेगी।

जिला परिषद्–निर्वाचन क्षेत्रीय सभाओं के प्रतिनिधियों की जिला परिषद् होगी। उसकी सदस्य संख्या यथासंभव जिला बोर्ड की सदस्य संख्या के बराबर होना चाहिए। उसकी एक कार्य समिति तथा आवश्यक पदाधिकारी रहेंगे। अपने जिले के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों की सभाओं का संचालन तथा नियमन उसका कार्य होगा। सदस्य शुल्क की आय का २५ प्रतिशत अपने पास सुरक्षित रख कर समयानुसार अपने अधीन सभाओं की सहायता करना तथा ५० प्रतिशत सदस्यता शुल्क प्रांत को भेज कर उससे सम्पर्क स्थापित कर सहयोग करते हुए उससे आदेशानुसार संगठन को व्यापक तथा परिषद् को लोकप्रिय बनाना उसका कार्य होगा।

प्रांतीय परिषद्–जिला सभाओं के प्रतिनिधियों की प्रान्तीय परिषद् होगी। उसकी महासमिति की सदस्य संख्या उस प्रांत के विधान मण्डल के सदस्य संख्या के बराबर होनी चाहिए। महासमिति द्वारा कार्य संचालन के लिए अधिक

से अधिक २१ सदस्यों की कार्य समिति तथा पदाधिकारियों का चुनाव होगा। जिला सभाओं की देख रेख उनकी सहायता तथा संगठन एवं प्रांत-व्यापिनी नीति निर्धारित कर उसका समुचित संचालन करना तथा प्रांत में पूर्ण अनुशासन रख केन्द्र के साथ सहयोग रखते हुए परिषद् को सब प्रकार से व्यापक बनाना जिले से प्राप्त धन का संग्रह करते हुए परिषद् को सब प्रकार से व्यापक बनाना, जिले से प्राप्त धन का सद्व्यय तथा निर्धारित अंश केन्द्र को देते रहना उसका कार्य होगा।

प्रांतीय महाधिवेशनों के समय विभिन्न समितियों के चुनाव हुआ करेंगे। किसी गांव, मुहल्ला, नगर, क्षेत्र, जिला या प्राँत में एक से अधिक परिषद् स्थापित न हो सकेंगी। प्राँतीय परिषदों को अपने यहाँ की परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम बनाने का अधिकार होगा। पर वे संविधान के अनुसार ही होने चाहिए और उनके लिए अखिल भारतीय कार्य समिति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रांतीय परिषद् को कार्यकर्त्ता, प्रचारक आदि नियुक्त करने, त्यागपत्र स्विकार करने, किसी के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने का अधिकार होगा, पर एक सप्ताह के भीतर उसकी सूचना अखिल भारतीय कार्य समिति में अपील हो सकती हैं :

अधीनस्थ शाखाओं को जिला शाखा के पास और जिला को प्रान्तीय परिषद् के पास प्रतिमास कार्य विवरण भेजना होगा। प्रांतीय परिषद् को तीसरे मास अपना कार्य विवरण केन्द्र को भेजना होगा।

प्रान्तीय तथा उनके अधीनस्थ संघठनों को अपनी आय के अनुसार ही व्यय की व्यवस्था रखनी होगी। उन्हें ऋण लेने का कोई अधिकार न होगा। सदस्यता शुल्क की रसीदें और सदस्यता के प्रमाण-पत्र प्राँत की ओर से ही शाखाओं को दिये जायेंगे। कोई शाखा उन्हें अलग से नहीं छपवा सकेगी। यदि किसी विशेष स्थानीय कार्य के लिए उसे चन्दा एकत्र करना है तो उसके लिए पृथक् रसीदें छपवायी जा सकेंगी। प्रत्येक वर्ष हिसाब की पूरी जाँच करानी होगी

और जांचकर्त्ता की रिपोर्ट ऊपर वाले संघठन को भेजनी होगी। अखिल भारतीय कार्य समिति द्वारा बनाये नियमों के अनुसार ही प्रचारकों की नियुक्ति हो सकेगी।

कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक राजनीतिक संस्था अथवा विद्यालय, पुस्तकालय आदि, जो परिषद् के उद्देश्यों से सहमत हों, अपना सम्बन्ध परिषद् से कर सकेंगे। ऐसी संस्थाओं को ५ रुपया वार्षिक सम्बन्ध संस्थापन शुल्क देना होगा। परिषद् के कार्यों में सहयोग देना और उसका कार्यक्रम सफल बनाना उनका कर्त्तव्य होगा। परिषद् भी उन्हें सुविधाएं प्रदान करेगी।

शुल्क व्यवस्था- परिषद् का सदस्यता शुल्क ११ रूपये वार्षिक रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रसन्नता पूर्वक जो चाहे दे सकता है। शुल्क का चतुर्थांश गांव या नगर परिषद् में चतुर्थांश जिला परिषद् में चतुर्थांश प्रान्तीय परिषद् में, और चतुर्थांश अखिल भारतीय परिषद् में जायगा।

अखिल भारतीय कार्यसमिति सदस्यता शुल्क २५) रुपया वार्षिक, महासमिति का १५) रुपया वार्षिक रहेगा। इसी प्रकार प्रान्तीय कार्यसमिति के लिए १५) रुपया और प्रादेशिक महासमिति के लिए १०) रुपया वार्षिक होगा। जिला कार्यकारिणी के लिए १०) रुपया और महासमिति के लिए ५) रुपया होगा।

जो विद्वान्, साधु महात्मा आदि द्रव्य ग्रहण नहीं करते वे प्रांतीय या अखिल भारतीय अध्यक्ष की संस्तुति पर शुल्क से मुक्त रहेंगे किन्तु उन्हें सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा।

आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रचारकों के लिए निम्नलिखित नियम बनाये जा सकते हैं।

धारा १०-प्रचारकों के नियम

१— प्रान्तीय परिषद् के समस्त प्रचारकों को परिषद् का कार्य करने से पूर्व प्रचारक प्रमाण-पत्र कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

२— प्रचारक बनने के लिए अपने तीन चित्र खिचवाने होंगे जिनमें दो चित्र अपने जिले के पोस्टआफिस में १) के स्टाम टिकट के साथ अपना आवेदन पत्र देकर परिचय पत्र (आइडिन्टी फिकेशन कार्ड) प्राप्त करना होगा।

३— पोस्टआफिस द्वारा (आइडिन्टी फिकेशन कार्ड) परिचय-पत्र प्राप्त करने के बाद अपना आवेदन-पत्र अपने कार्ड और चित्र सहित प्रचारमंत्री केन्द्र या प्रदेशीय रामराज्य परिषद् के नाम पर भेजना होगा।

४— प्रचारक आवेदन-पत्र के साथ अपने ग्राम के किन्ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रमाण-पत्र भी भेजने होंगे, जिससे कि उन्हें सभी प्रकार का कार्य भार सौंपा जा सके और उनके कार्य व्यवहार का ज्ञान परिषद् को भली प्रकार हो।

५— कार्यालय से प्राप्त किया गया प्रचारक प्रमाण-पत्र और पोस्टआफिस का परिचय-पत्र (आईडिन्टी फिकेशन कार्ड) दोनों प्रमाण के लिए प्रत्येक प्रचारक को अपने साथ रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति को दिखाना होगा, जिससे कि उसके प्रचारक होने में जनता को सन्देह न रहे।

६— प्रचारकों को अपने कार्य की रिपोर्ट प्रति सप्ताह भेजनी होगी तथा संग्रहीत धन मनीआर्डर द्वारा साथ में भेजना होगा जिसका व्यय कार्यालय की ओर से किया जायेगा।

७— प्रचारक यथा सम्भव अवतैनिक ही रखे जायेंगे फिर भी कार्यकारिणी यदि आवश्यकता समझे तो प्रचारकों को वैतनिक भी रख सकेगी।